

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
प्रथम जमानत आवेदन सं. 2023 का 151

अंकित कुमार

...आवेदक

बनाम

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो
मौजूद

...प्रतिवादी

श्री अरविंद कुमार शर्मा, आवेदक के अधिवक्ता।

श्री K.S.Rawal, राज्य के लिए A.G.A.।

माननीय रविन्द्र मैथानी, न्यायाधीश (मौखिक)

आवेदक अंकित कुमार एन. सी. बी. क्राइम नं. 2022 का 03, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, 1985 की खंड 8/22/29 के से, पुलिस स्टेशन एन. सी. बी., उप क्षेत्र देहरादून, जिला देहरादून। उन्होंने उसे जमानत पर रिहा करने की मांग की है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत दे दी गई है।
4. सह-अभियुक्त नावेद आलम इस अदालत द्वारा 2022 के बीए1 991 में 09.05.2022 पर पहले ही जमानत दे चुका है।
5. चूंकि, यह स्वीकार किया जाता है कि यह समानता का मामला है, इसलिए आवेदक भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
6. विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है और आवेदक जमानत पर विस्तारित होने का हकदार है।
7. जमानत आवेदन की अनुमति है।
8. आवेदक को व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करने और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(रवींद्र मैथानी, जे.) अवकाश न्यायाधीश

16.01.2023

कौशल